संख्या- 7/2017/1467/एक-4-2017-रा0-4

प्रेषक,

धीरज पाण्डे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0,लखनऊ।
2-मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल, कानपुर मण्डल एवं मुरादाबाद मण्डल ।

राजस्व अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 13 सितम्बर,2017

विषय:-वित्तीय वर्ष 2017-18 में मण्डलायुक्त कार्यालय हेतु निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहन क्रय किये जाने की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 मे मण्डलायुक्त कार्यालय हेतु निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन हेतु प्राविधानित /अवशेष धनराशि रूपयें 100 लाख में से मण्डलायुक्त कार्यालय के अन्तर्गत संलग्न सूची (परिशिष्ट -क) में अंकित आयुक्त एवं (परिशिष्ट -ख) में अंकित अपर आयुक्त के अधिकारियों की संलग्न सूची के निष्प्रोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप 02' इनोवा वाहन क्रय किये जाने हेतु प्रति वाहन रूपया-12,16,782/- की दर से अर्थात कुल रूपये- 24,33,564/- (रूपये चौबीस लाख तैतीस हजार पांच सौ चौसठ मात्र) एवं 02 वोलेरो वाहन प्रति वाहन रूपये 5,95,441/- की दर से अर्थात कुल रूपये 11,90,882/- (ग्यारह लाख नब्बे हजार आठ सौ बयासी मात्र) अर्थात कुल रूपये-36,24,446/- (रूपये छत्तीस लाख चौबीस हजार चार सौ छियालीस मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तो के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहनो का क्रय किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलाम किये गये वाहन सरकारी वाहन ही थे तथा वाहन के प्रतिस्थापन में द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(2) उक्त वाहनों का क्रय निर्धारित क्रय प्रक्रिया एवं सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वाहन का क्रय स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(3) भारत सरकार द्वारा डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर अनुबन्ध की व्यवस्था समाप्त करते हुए गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लस जी0एम0ई0 पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने की व्यवस्था प्रतिपादित किये जाने का उल्लेख है। अत: प्रशासकीय विभाग द्वारा उक्त वाहनो का क्रय स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही जी0एम0ई0 पोर्टल की दरे अथवा डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरे जो भी न्यूनतम हो और लागू हो पर किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के आयोजनेत्तर पक्ष में अनुदान संख्या-50, लेखाशीर्षक-2053-आयोजनेत्तर-101- आयुक्त-03-मुख्य कार्यालय-14-मोटर गाडियों का क्रय मद के अन्तर्गत

http://shasanadesh.up.nic.in

वहन किया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि से संबंधित बजट जनपदों को आनलाइन करने की कार्यवाही राजस्व परिषद द्वारा तत्काल सुनिश्चित की जायेगी ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-ई-5-645/दस-2017 दिनांक; 12 सितम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(धीरज पाण्डे)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-1467(1)एक-4-17-तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (प्रथम/द्वितीय),उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) (प्रथम/द्वितीय),उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
5- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-2।
6- राजस्व अनुभाग-6
7- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(धीरज पाण्डे)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

परिशिष्ट -क

शासनादेश संख्या- 7/एक-4-2017 दिनांक सितम्बर ,2017 का संलग्नक।

क्र0	मण्डल	निष्प्रयोज्य वाहन का प्रकार एवं रजिस्शन संख्या	स्वीकृत वाहन	निर्धारित मूल्य
1	2	3	4	5
1	मण्डलायुक्त देवीपाटन मण्डल	यू0पी0-43-जी-0131 एम्बेसडर	इनोवा 12,69,214/-	12,69,214/-
2	मण्डलायुक्त कानपुर मण्डल	यू0पी0-78-बीजी-0050 एम्बेसडर	इनोवा 12,69,214/-	12,69,214/-
		योग	02 इनोवा	2538428/-

(रूपयें पच्चीस लाख अडतीस हजार चार सौ अठ्ठाइस मात्र)

(धीरज पाण्डे)
विशेष सचिव।

परिशिष्ट -ख

शासनादेश संख्या- 7 /एक-4-2017 दिनांक सितम्बर ,2017 का संलग्नक।

क्र0	मण्डल	निष्प्रयोज्य वाहन का प्रकार एवं रजिस्शन संख्या	स्वीकृत वाहन	निर्धारित मूल्य
1	2	3	4	5
1	अपर आयुक्त देवीपाटन	यू0पी0-43-जी-0050 एम्बेसडर	1 बोलेरो	5,95,441/-
2	अपर आयुक्त मुरादाबाद	यू0पी0-21-जी-0001 एम्बेसडर	1 बोलेरो	5,95,441/-
			2 बोलेरो	11,90,882/-

(रूपये ग्यारह लाख नब्बे हजार आठ सौ बयासी मात्र)

(धीरज पाण्डे)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in